रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 449] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2003/भाद्र 24, 1925
No. 449] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2003/BHADRA 24, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2003

सं. 69/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 742(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944(1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 (जिसका इसके इसके पश्चात् उक्त नियमावली के रूप में उल्लेख किया गया है) का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामश :-

1. (i) इन नियमों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क(सातवां संशोधन) नियमावली, 2003 कहा जाए।
(ii) ये नियम एक अक्तूबर, 2003 को लागू होंगे ।

2. उक्त नियमावली के नियम 17 में, उप नियम (3) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:नामश:-

"(3) इकाई बोर्ड द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को उस माह के समाप्त होने से दस दिनों के भीतर जिससे संबंधित विवरणी है, इकाई में विनिर्मित उत्पाद शुल्क्य माल और वहां प्राप्त निविष्टियों और पूंजीगत माल के संबंध में मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगी ।"

[फा. सं. 201/6/2002-के.उ.शु. 6 (भाग-2)]

विजय मोहन जैन, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 1 मार्च,2002 की अधिसूचना सं. 4/2002-के.उ.शु.(गै.टै.) [सा.का.नि.143(अ) दिनांक 1मार्च, 2002] के तहत प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार इसका संशोधन अधिसूचना सं.48/2003-के.उ.शु.(गै.टै.) दिनांक 17 मई, 2003[सा.का.नि.सं.422(अ) दिनांक 17 मई, 2003] के द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2003

No. 69/2003-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 742(E).— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), namely:-

1. (i) These rules may be called the Central Excise (Seventh Amendment) Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the first day of October, 2003.

2. In rule 17 of the said rules, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely,-

"(3) The unit shall submit a monthly return, in the form specified, by notification, by the Board, to the Superintendent of Central Excise, within ten days from the close of the month to which the return relates, in respect of excisable goods manufactured in, and receipt of inputs and capital goods in, the unit.".

[F. No. 201/6/2002-CX.6 (Pt-2)]

VIJAY MOHAN JAIN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. 4/2002-CE (NT), dated the 1st March, 2002 [G.S.R. 143(E), dated the 1st March, 2002], and were last amended vide notification No.48/2003-CE(NT), dated the 17th May, 2003 [G.S.R. 422 (E), dated the 17th May, 2003].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2003

सं. 70/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 743(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944(1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2002 (जिसका इसमे इसके पश्चात् उक्त नियमावली के रूप मे उल्लेख किया गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामश :-

1. (i) इन नियमों को सेनवेट क्रेडिट(अठाहरवां संशोधन) नियमावली, 2003 कहा जाए ।

(ii) ये एक अक्तूबर, 2003 को लागू होंगे ।

2. उक्त नियमावली के नियम 3 में, उप नियम (6)के खंड (क)के उप-खंड (i) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:नामश:-

"(i) किसी शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क अथवा सापटवेयर टैक्नोलोजी पार्क में किसी इकाई द्वारा (उस इकाई के अलावा जो दिनांक 31 मार्च, 203 की अधिसूचना सं. 23/2003-के.उ.शु.(सा.का.नि.सं.266(अ), दिनांक 31 मार्च, 2003) की क्रम सं. 3,5,6 और 7 के साथ अधिनियम की धारा3 के अंतर्गत लगाया गया उत्पाद शुल्क अदा करती है) और भारत में किसी अन्य स्थान पर अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त, यदि इकाई दिनांक 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं.23/2003-के.उ.शु. की क्रम सं.2 सह पठित अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उत्पाद शुल्क अदा करती है, निम्नलिखित तरीके से परिकलित राशि के बराबर स्वीकार्य होगा, नामश:-
[X गुणा {1+बी सी डी/100)गुणा (सीवीडी/100}] का पचास प्रतिशत, जहां वी.सी.डी. और सी वी डी निविष्टियों अथवा पूंजीगत माल पर उदग्रहणीय क्रमश: मूल सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क के प्रतिशत में मूल्यानुसार दरें निर्दिष्ट करती है और X निर्धारणीय मूल्य निर्दिष्ट करता है।"

3. उक्त नियमावली के नियम 4 के उप नियम (2) के खण्ड (ख) में शब्दों "अपवर्तकों और अपवर्तक सामग्रियों" के स्थान पर शब्द "अपवर्तकों और अपवर्तक सामग्रियों, सांचे और डाइयां" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

4. उक्त नियमावली के नियम 7 में,

(क) उप नियम (5) और उससे संबंधित व्याख्या के लिए, निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामश:

"(5) अंतिम उत्पादों के विनिर्माता प्रत्येक माह के बंद होने के दस दिनों के भीतर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक को बोर्ड द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म में मासिक विवरणी दाखिल करेंगे:

बशर्ते कि जहां कोई विनिर्माता किसी वित्तीय वर्ष में निकासियों के मूल्य अथवा मात्रा पर आधारित अधिसूचना के अंतर्गत छूट प्राप्त कर रहा है, वह तिमाही जिससे वह विवरणी संबंधित है, के बंद होने के बाद बीस दिनों के भीतर बोर्ड द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म में तिमाही विवरणी दाखिल करेगा ।"

(ख) उप नियम (6) के लिए, निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामश:-

"(6) प्रथम स्तर का अथवा दूसरे स्तर का डीलर, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक वर्ष की अंतिम तिमाही के बंद होने के पन्द्रह दिनों के भीतर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक को बोर्ड द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट फॉर्म में विवरणी दाखिल करेगा ।"

5. उक्त नियमावली के साथ संलग्न फार्म-1 और फार्म-2को हटा दिया जाए ।

[फा. सं. 201/6/2002-के.उ.शु. 6 (भाग-2)]

विजय मोहन जैन, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.5/2002-के.उ.शु.(गै.टै.) दिनांक 1 मार्च, 2002[सा.का.नि.144(अ) दिनांक 1 मार्च, 2002] के तहत प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार इसका संशोधन अधिसूचना सं. 65/2003-के.उ.शु.(गै.टै.), दिनांक 9 सितम्बर, 2003 [सा.का.नि.719(अ) दिनांक 9 सितम्बर, 2003] के द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2003

No. 70/2003-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 743(E).— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules,2002 (hereinafter referred to as the said rules), namely:-

1. (i) These rules may be called the CENVAT Credit (Eighteenth Amendment) Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the first day of October, 2003.

2. In rule 3 of the said rules, for sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (6), the following shall be substituted, namely:-

"(i) by a hundred per cent. export-oriented undertaking or by a unit in an Electronic Hardware Technology Park or in a Software Technology Park [other than a unit which pays excise duty levied under section3 of the Act read with serial numbers 3,5, 6 and 7 of notification No. 23/2003-Central Excise, dated the 31st March, 2003, (G.S.R. 266(E), dated the 31st March, 2003)]and used in the manufacture of the final products in any other place in India, in case the unit pays excise duty under section 3 of the Act read with serial number 2 of the notification No. 23/2003-Central Excise, dated the 31st March, 2003, [G.S.R. 266(E), dated the 31st March, 2003], shall be admissible equivalent to the amount calculated in the following manner, namely;-

Fifty per cent. of [X multiplied by {(1+BCD/100) multiplied by (CVD/100)}], where BCD and CVD denote *ad valorem* rates, in per cent., of basic customs duty and additional duty of customs leviable on the inputs or the capital goods respectively and X denotes the assessable value.".

3. In clause (b) of sub-rule (2) of rule 4 of the said rules, for the words "refractories and refractory materials", the words "refractories and refractory materials, moulds and dies" shall be substituted.

4. In rule 7 of the said rules,

(a) for sub-rule (5) and the *Explanation* relating thereto, the following sub-rule shall be substituted , namely,-

"(5) The manufacturer of final products shall submit within ten days from the close of each month to the Superintendent of Central Excise, a monthly return in the form specified, by notification, by the Board:

Provided that where a manufacturer is availing exemption under a notification based on the value or quantity of clearances in a financial year, he shall file a quarterly return in the form specified by notification by the Board within twenty days after the close of the quarter to which the return relates.".

(b) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(6) A first stage or a second stage dealer, as the case may be, shall submit within fifteen days from the close of each quarter of a year to the Superintendent of Central Excise, a return in the form specified by notification by the Board.".

5. Form-1 and Form-2 annexed to the said rules shall be omitted.

[F. No. 201/6/2002-CX. 6 (Pt-2)]
VIJAY MOHAN JAIN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. 5/2002-CE (NT), dated the 1st March, 2002[G.S.R. 144 (E) dated the 1st March, 2002] and were last amended vide notification No.65/2003-CE(NT), dated the 9th September, 2003[G.S.R. 719 (E) dated the 9th September , 2003].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2003

सं. 71/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 744(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 12 और सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2002 के नियम 7 के उप नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 48/2001- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) दिनांक 26 जून 2001 जो कि दिनांक 26 जून, 2001 की सा.का.नि.477(अ) द्वारा प्रकाशित की गई है, का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड उक्त नियमावली के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित फार्म विनिर्दिष्ट करता है, नामत:

(i) माल के उत्पादन और निकासी तथा अन्य संगत विवरणों और सेनवेट क्रेडिट के लिए मासिक विवरणी के लिए निम्नलिखित फार्म प्रयोग में लाए जाएगे, नामत :

मूल/डुप्लीकेट

फार्म ई.आर.1

(सैनवेट क्रेडिट नियमावली, 2002 का नियम 7(5) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 का नियम 12 देखें)

शुल्क्य माल और सैनवेट क्रेडिट लेने के लिए विवरणी, मास | | | | | | |

1. पंजीकरण संख्या | | | | | | | | | | | | | | | |

2. निर्धारिती का नाम | | | | | | | | | | | | | | |

7. स्वयं-निर्धारण ज्ञापन

(क) मैं घोषित करता हूँ कि इस विवरणी में दी गई सूचना सत्य सही और सभी प्रकार से पूरी है और मैं निर्धारिती की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ ।

(ख) माल के दौरान कुल ----------रुपये टी.आर.6 चालान द्वारा जमा करवाएं गए थे । (प्रतियां संलग्न)

(ग) मास के दौरान क्रम सं. ---------- से क्रम संख्या ----------तक वाले बीजक जारी किए गए थे ।

(निर्धारिती या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का मोटे अक्षरों में नाम और हस्ताक्षर)

नई दिल्ली
दिनांक

पावती

शुल्क्य माल और सेनेवेट क्रेडिट लेने के लिए विवरणी, मास

प्राप्ति की तारीख

रेंज अधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर और नाम

अनुदेश

1. 15 अंकों की स्थायी खाता संख्या पर आधारित पंजीकरण संख्या और पंजीकरण प्रमाण-पत्र में छपे नाम का उल्लेख करें।
2. यदि एक मद से अधिक का विनिर्माण किया जाता हो तो प्रत्येक तालिका में आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं।
3. यदि किसी विनिर्दिष्ट उत्पाद पर शुल्क की एक से अधिक दर लगने वाली हो तो सभी दरों का अलग-अलग उल्लेख किया जाना चाहिए ।
   उदाहरण के लिए: यदि शुल्क की पूर्ण दर पर किसी उत्पाद की स्थानीय बाजार में और शुल्क की रियायती/शून्य दर पर भूकंप राहत अथवा माने गए निर्यात के लिए निकासी की जाती हो तो प्रत्येक श्रेणी की निकासी के ब्यौरे का अलग-अलग उल्लेख किया जाना चाहिए ।
4. यदि बांड के तहत किसी माल की निर्यात हेतु निकासी की गई हो, तो निकासी के ब्यौरे का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए । क्रम सं. 3 पर तालिका के स्तंभ (7) और (8) के अंतर्गत "बांड के तहत निर्यात" का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
5. यदि किसी विनिर्दिष्ट उत्पाद पर एक ही महीने के भीतर शुल्क की भिन्न-भिन्न दरें लगती हों, तो ऐसे ब्यौरे का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए।
   उदाहरण के लिए : किसी महीने की 10वीं तारीख को यदि उत्पाद पर उद्ग्रहणीय शुल्क की प्रभावी दरें बदल जाती हैं तो महीने की 9वीं तारीख तक की अवधि तक और 10वीं तारीख से महीने के अंतिम तक की अवधि तक के लिए उत्पादन, निकासी और शुल्क के भुगतान से संबंधित ब्यौरे अलग से दिए जाने की जरूरत है।
6. 6-अंकों वाली सी इ टी एस एच संख्या का बिना किसी दशमलव बिंदु के उल्लेख किया जाना चाहिए।

7. जहाँ कहीं मात्रा संबंधी कोड आए, वहाँ निम्नानुसार उनके शब्द-संक्षेप का उल्लेख करें:

मात्रा	शब्द-संक्षेप
सेंटीमीटर	से मी
घन सेंटीमीटर	सेमी^{3}
घन मीटर	मी^{3}
ग्राम	ग्रा
किलोग्राम	किग्रा
किलोलीटर	किली
लीटर	ली
मीटर	मी
वर्ग मीटर	मी^{2}
मिली मीटर	मि मी
मिट्रीक टन	मि ट
जोड़ियों की सं.	जो
क्विंटल	क्वि
टन	ट
हजार में संख्या	ह
संख्या	सं

8. जहाँ शुल्क विनिर्दिष्ट हो और विनिर्दिष्ट इकाई मात्रा पर आधारित प्रभार लगता हो, वहाँ निकासी के आँकड़े को दर्शाने के लिए उसी मात्रा कोड का प्रयोग किया जाना चाहिए।
9. क्रम सं.3 पर तालिका के स्तंभ 5 में, निर्धारण-योग्य मूल्य का तात्पर्य,
   (क) जहाँ माल पर शुल्क की यथा मूल्य दर लगती हो, वहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4 के तहत मूल्य से है।
   (ख) जहाँ माल अधिनियम की धारा 4क के अंतर्गत आता हो, वहाँ अधिनियम की धारा 4क के अंतर्गत यथा विहित कटौतियाँ करने के बाद अधिकतम खुदरा मूल्य के अंतर्गत निकाला गया निर्धारणीय मूल्य से है।
   (ग) ऐसे माल के मामले में, जिनके लिए टैरिफ मूल्य निश्चित है, ऐसे टैरिफ मूल्य से है।
   (घ) विनिर्दिष्ट दर वाले माल के मामले में, सभी करों को छोड़कर माल के कुल बीजक मूल्य से है;
   (ङ) यथा मूल्य और विनिर्दिष्ट शुल्कों के सम्मिलित होने की स्थिति में, इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत लेन-देन मूल्य से है;
   (च) बांड के तहत निर्यातों के मामले में, ए.आर.ई-1/ए.आर.ई-2/ बीजक मूल्य से है।

किसी विशेष प्रकार के शुल्क को दिखाने के लिए प्रयुक्त शब्द-संक्षेप निम्नानुसार है:

सेनवेट	*केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अनुसार उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क*
एस ई डी	*केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की दूसरी अनुसूची के अनुसार उद्ग्रहणीय विशेष उत्पाद शुल्क*
ए ई डी (जीएसआई)	*अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क*
एन सी सी डी	*यथासंशोधित वित्तीय अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क*

ए ई डी (टी टी ए)	*अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वस्त्र और वस्त्र से बनी वस्तुएँ) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) के अंतर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क*
एस ए ई डी	*वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय विशेष उत्पाद शुल्क*
ए डी ई	*वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 की धारा 111 और वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 133 के अंतर्गत क्रमश: उद्ग्रहणीय मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क .*
एडीईटी	*वित्त अधिनियम, 2003 (2003 का 32) की धारा 157 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय चाय एवं चाय अपशिष्ट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क*
उपकर	*विभिन्न उपकर अधिनियमनों के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उपकर*

10. क्रम संख्या 3 एवं 4 पर स्थित सारणियों में, यथा लागू, प्रदत्त/ देय 'अन्य शुल्कों' का निम्न क्रमानुसार उल्लेख किया जाए।

एस ई डी					
ए ई डी (जी एस आई)					
एनसीसीडी					
एईडी (टीटीए)					
एसएईडी					
एडीई					
एडीईटी					
उपकर					

11. सारणी की क्रम संख्या 3 में स्तंभ सं. 9 में शुल्क की प्रभावी दर का उल्लेख करें। जो स्तंभ लागू नहीं हों, उन्हें खाली छोड़ दें।
12. कंपाउंडेड लेवी स्कीम के तहत निकासी किए गए माल के संबंध में, कंपाउंडेड लेवी स्कीम के अनुसार क्रम सं. 3 पर की तालिका के स्तंभ (10) में देय कुल शुल्क का उल्लेख करें। जो स्तंभ लागू नहीं हों, उन्हें खाली छोड़ दें।
13. माल के अनंतिम रूप से निर्धारण किए जाने के मामले में, ब्यौरे, क्रम सं. 3 पर तालिका में अलग से दिए जाएँ। क्रम संख्या 3 पर तालिका के स्तंभ (11) में, अनंतिम निर्धारण के लिए क्रम से उल्लिखित विशिष्ट पहचान संख्या विनिर्दिष्ट करें।
14. क्रम सं. 6 पर स्तंभ (4) में, शुल्क और ब्याज के बकायों के संदाय की वह अवधि जिसके लिए उक्त ब्याज दिया गया है, के संबंध में मूल आदेश संख्या और तारीख का उल्लेख करें । अन्य विविध संदायों के लिए मूल दस्तावेज की संख्या और तारीख का उल्लेख करें।

(ii) माल की निकासी और सेनवेट क्रेडिट की तिमाही विवरणी के लिए निम्नलिखित फार्म का प्रयोग किया जाएगा, नामत:

मूल/डुप्लीकेट

फार्म ई.आर.3

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 और सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2002 का नियम 7(5) देखें)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 12 में किए गए परंतुक के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

शुल्कय माल और सैनवेट क्रेडिट लेने के लिए विवरणी, मास _____

1. पंजीकरण संख्या
2. निर्धारिती का नाम

3. तिमाही के पहले/दूसरे/ तीसरे मास के दौरान विनिर्माण, निकासी और देय शुल्क का ब्यौरा:

सी ई टी एस एच संख्या	मात्रा की इकाई	विनिर्मित मात्रा	निकासी की गई मात्रा	निर्धारणीय मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

शुल्क	लागू अधिसूचना	अधिसूचना में क्रम सं.	शुल्क दर	देय शुल्क (रु.)	अंतरिम निर्धारण सं. (यदि कोई हो तो)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
सैनवेट					
अन्य शुल्क					

4. तिमाही के पहले/दूसरे/ तीसरे मास के दौरान भुगतान किए गए शुल्क का ब्यौरा

शुल्क कोड	चालू खाता (रु.)	क्रेडिट खाता	भुगतान किया गया कुल शुल्क (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)
सैनबेट			
अन्य शुल्क			

5. तिमाही के पहले/दूसरे/ तीसरे मास के दौरान लिए गए **और प्रयोग किए गए सैनवेट क्रेडिट का ब्यौरा**

क्रेडिट का ब्यौरा	सैनवेट (रु.)	ए ई डी (टी टी ए) (रु.)	एन सी सी डी (रु.)	ए.डी.ई टी (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रारंभिक अधिशेष				
निविष्टियों पर लिया गया क्रेडिट				
पूंजीगत माल पर लिया गया क्रेडिट				
लिया गया कुल क्रेडिट				
प्रयोग किया गया क्रेडिट				
अंत शेष				

6. किए गए अन्य भुगतानों के ब्यौरे:

भुगतान	भुगतान की गई राशि (रु.)		चालान						स्रोत दस्तावेज सं.एवं तारीख
	चालू खाता	क्रेडिट खाता	सं.	तारीख					
(1)	(2A)	(2B)	(3A)	(3B)					(4)
बकाया शुल्क									
ब्याज									
विविध भुगतान									

7. स्वयं-निर्धारण ज्ञापन

(क) मैं घोषित करता हूँ कि इस विवरणी में दी गई सूचना सत्य सही और सभी प्रकार से पूरी है और मैं निर्धारिती की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ ।

(ख) माल के दौरान कुल ----------रुपये टी.आर.6 चालान द्वारा जमा करवाएं गए थे । (प्रतियां संलग्न)

(ग) मास के दौरान क्रम सं. ---------- से क्रम संख्या ----------तक वाले बीजक जारी किए गए थे ।

(निर्धारिती या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का मोटे अक्षरों में नाम और हस्ताक्षर)

नई दिल्ली
दिनांक

पावती

शुल्क्य माल और सेनवेट क्रेडिट लेने के लिए विवरणी, मास

प्राप्ति की तारीख

रेंज अधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर और नाम

अनुदेश

1. 15 अंकों की स्थायी खाता संख्या पर आधारित पंजीकरण संख्या और पंजीकरण प्रमाण-पत्र में छपे नाम का उल्लेख करें।
2. यदि एक मद से अधिक का विनिर्माण किया जाता हो तो प्रत्येक तालिका में आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं। उत्पादन और निकासी, शुल्क भुगतान और लिए गए व प्रयोग किए गए सेनवेट के ब्यौरे संबंधी सूचना देने के लिए संबंधित तालिका को दोहराया जा सकता है ।
3. यदि किसी विनिर्दिष्ट उत्पाद पर शुल्क की एक से अधिक दर लगने वाली हो तो सभी दरों का अलग-अलग उल्लेख किया जाना चाहिए ।
   उदाहरण के लिए: यदि शुल्क की पूर्ण दर पर किसी उत्पाद की स्थानीय बाजार में और शुल्क की रियायती/शून्य दर पर भूकंप राहत अथवा माने गए निर्यात के लिए निकासी की जाती हो तो प्रत्येक श्रेणी की निकासी के ब्यौरे का अलग-अलग उल्लेख किया जाना चाहिए ।
4. यदि बांड के तहत किसी माल की निर्यात हेतु निकासी की गई हो, तो निकासी के ब्यौरे का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए । क्रम सं. 3 पर तालिका के स्तंभ (7) और (8) के अंतर्गत "बांड के तहत निर्यात " का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
5. यदि किसी विनिर्दिष्ट उत्पाद पर एक ही महीने के भीतर शुल्क की भिन्न-भिन्न दरें लगती हों, तो ऐसे ब्यौरे का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए।
   उदाहरण के लिए : किसी महीने की 10वीं तारीख को यदि उत्पाद पर उद्ग्रहणीय शुल्क की प्रभावी दरें बदल जाती हैं तो महीने की 9वीं तारीख तक की अवधि तक और 10वीं तारीख से महीने के अंतिम तक की अवधि तक के लिए उत्पादन, निकासी और शुल्क के भुगतान से संबंधित ब्यौरे अलग से दिए जाने की जरूरत है।
6. 6-अंकों वाली सी इ टी एस एच संख्या का बिना किसी दशमलव बिंदु के उल्लेख किया जाना चाहिए।
7. जहाँ कहीं मात्रा संबंधी कोड आए, वहाँ निम्नानुसार उनके शब्द-संक्षेप का उल्लेख करें:

मात्रा	शब्द-संक्षेप
सेंटीमीटर	से मी
घन सेंटीमीटर	सेमी
घन मीटर	मी
ग्राम	ग्रा
किलोग्राम	किग्रा
किलोलीटर	किली
लीटर	ली
मीटर	मी
वर्ग मीटर	मी
मिली मीटर	मि मी
मिट्रीक टन	मि ट
जोड़ियों की सं.	जो
क्विंटल	क्वि
टन	ट

हजार में संख्या ह
संख्या सं

8. जहाँ शुल्क विनिर्दिष्ट हो और विनिर्दिष्ट इकाई मात्रा पर आधारित प्रभार लगता हो, वहाँ निकासी के आँकड़े को दर्शाने के लिए उसी मात्रा कोड का प्रयोग किया जाना चाहिए।

9. क्रम सं.3 पर तालिका के स्तंभ 5 में, निर्धारण-योग्य मूल्य का तात्पर्य,

(क) जहाँ माल पर शुल्क की यथा मूल्य दर लगती हो, वहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4 के तहत मूल्य से है।

(ख) जहाँ माल अधिनियम की धारा 4क के अंतर्गत आता हो, वहाँ अधिनियम की धारा 4क के अंतर्गत यथा विहित कटौतियाँ करने के बाद अधिकतम खुदरा मूल्य के अंतर्गत निकाला गया निर्धारणीय मूल्य से है।

(ग) ऐसे माल के मामले में, जिनके लिए टैरिफ मूल्य निश्चित है, ऐसे टैरिफ मूल्य से है।

(घ) विनिर्दिष्ट दर वाले माल के मामले में, सभी करों को छोड़कर माल के कुल बीजक मूल्य से है;

(ङ) यथा मूल्य और विनिर्दिष्ट शुल्कों के सम्मिलित होने की स्थिति में, इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत लेन-देन मूल्य से है;

(च) बांड के तहत निर्यातों के मामले में, ए.आर.ई-1/ए.आर.ई-2/ बीजक मूल्य से है।

किसी विशेष प्रकार के शुल्क को दिखाने के लिए प्रयुक्त शब्द-संक्षेप निम्नानुसार है:

सेनवेट	*केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अनुसार उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क*
एस ई डी	*केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की दूसरी अनुसूची के अनुसार उद्ग्रहणीय विशेष उत्पाद शुल्क*
ए ईडी (जीएसआई)	*अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क*
एन सी सी डी	*यथासंशोधित वित्तीय अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क*
ए ई डी (टी टी ए)	*अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वस्त्र और वस्त्र से बनी वस्तुएँ) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) के अंतर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क*
एस ए ई डी	*वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय विशेष उत्पाद शुल्क*
ए डी ई	*वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 की धारा 111 और वित्त अधिनियम, 1999 की धारा 133 के अंतर्गत क्रमश: उद्ग्रहणीय मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क*
एडीईटी	*वित्त अधिनियम, 2003 (2003 का 32) की धारा 157 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय चाय एवं चाय अपशिष्ट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क*
उपकर	*विभिन्न उपकर अधिनियमनों के अंतर्गत उद्ग्रहणीय उपकर*

10. क्रम संख्या 3 एवं 4 पर स्थित सारणियों में, यथा लागू, प्रदत्त/ देय 'अन्य शुल्कों' का निम्न क्रमानुसार उल्लेख किया जाए।

एस ई डी					
ए ई डी (जी एस आई)					
एनसीसीडी					
एईडी (टीटीए)					
एसएईडी					
एडीई					

एडीईटी					
उपकर					

11. सारणी की क्रम संख्या 3 में स्तंभ सं. 9 में शुल्क की प्रभावी दर का उल्लेख करे। जो स्तंभ लागू नहीं हों, उन्हें खाली छोड़ दें।
12. कंपाउंडेड लेवी स्कीम के तहत निकासी किए गए माल के संबंध में, कंपाउंडेड लेवी स्कीम के अनुसार क्रम सं. 3 पर की तालिका के स्तंभ (10) में देय कुल शुल्क का उल्लेख करे। जो स्तंभ लागू नहीं हों, उन्हें खाली छोड़ दें।
13. माल के अनंतिम रूप से निर्धारण किए जाने के मामले में, ब्यौरे, क्रम सं. 3 पर तालिका में अलग से दिए जाएँ। क्रम संख्या 3 पर तालिका के स्तंभ (11) में, अनंतिम निर्धारण के लिए क्रम से उल्लिखित विशिष्ट पहचान संख्या विनिर्दिष्ट करें।
14. क्रम सं. 6 पर स्तंभ (4) में, शुल्क और ब्याज के बकायों के संदाय की वह अवधि जिसके लिए उक्त ब्याज दिया गया है, के संबंध में मूल आदेश संख्या और तारीख का उल्लेख करें । अन्य विविध संदायों के लिए मूल दस्तावेज की संख्या और तारीख का उल्लेख करें।

२. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2003 में प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 201/6/2002-के.उ.शु.- 6 (भाग-2)]

विजय मोहन जैन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2003

No. 71/2003-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 744(E).— In exercise of the powers conferred by rule 12 of the Central Excise Rules, 2002 and sub-rule (5) of rule 7 of CENVAT Credit Rules, 2002, and in supercession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 48/2001-Central Excise (N.T.), dated the 26th June 2001, published vide G.S.R.477(E), dated the 26th June 2001, the Central Board of Excise and Customs hereby specifies the following forms for the purposes of the said rules, namely :-

(i) for monthly return for production and removal of goods and other relevant particulars and CENVAT credit, the following form shall be used, namely:-

Form E.R.-1 Original/Duplicate

{ See rule 12 of the Central Excise Rules, 2002 and rule 7 (5) of CENVAT Credit Rules, 2002}

Return of excisable goods and availment of CENVAT credit for the month of M M Y Y Y Y

1. **Registration number**
2. **Name of the assessee**

3. Details of the manufacture, clearance and duty payable:

CETSH NO	Unit of quantity	Quantity manufactured	Quantity cleared	Assessable value (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Duty	Notification availed	S. No. in Notification	Rate of duty	Duty payable (Rs.)	Provisional assessment number (if any)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
CENVAT					
Other Duties					

4. Details of duty paid:

Duty code	Account current (Rs.)	Credit account (Rs.)	Total duty paid (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
CENVAT			
Other Duties			

5. Details of CENVAT credit availed and utilized :

Details of Credit	CENVAT (Rs.)	AED (TTA) (Rs.)	NCCD (Rs.)	ADET (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Opening balance				
Credit availed on inputs				
Credit availed on capital goods				
Total credit availed				
Credit utilized				
Closing balance				

6. Details of other payments made :

Payments	Amount Paid (Rs.)		Challan		Source document No. and date
	Account current	Credit account	No.	Date	
(1)	(2A)	(2B)	(3A)	(3B)	(4)
Arrears of duty					
Interest					
Misc. Payments					

7. Self- assessment memorandum :

a) I hereby declare that the information given in this Return is true, correct and complete in every respect and that I am authorised to sign on behalf of the assessee.

b) During the month, total Rs._____was deposited vide TR 6 Challans (copies enclosed).

c) During the month, invoices bearing S No _____ to S.No. _____ were issued.

Place
Date

(Name in capital letters and Signature of assessee or authorized signatory)

ACKNOWLEDGEMENT

Return of excisable goods and availment of CENVAT credit for the month of (M M Y Y Y Y)

Date of receipt (D D M M Y Y Y Y)

Name and signature of the Range Officer with Official Seal

INSTRUCTIONS

1. Indicate the 15-digit PAN based registration number and the name as appearing in the Registration Certificate
2. In case more than one item is manufactured, additional row may be inserted in each table, wherever necessary.
3. If a specific product attracts more than one rate of duty, then all the rates should be mentioned separately.

   For example: If a product is cleared at full rate of duty to the local market and at a concessional/ nil rate of duty for earthquake relief, then the details for each category of clearance must be separately mentioned.
4. In case the goods are cleared for export under Bond, the details of clearance may be mentioned separately. Under the columns (7) and (8) of Table at serial number 3, the words 'Export under Bond' may be mentioned.
5. If a specified product attracts different rates of duty, within the same month, then such details should be separately mentioned.

   For example: On the 10th of a month, the effective rate of duty leviable for the product is changed, then the details relating to production, clearance and payment of duty need to be mentioned separately for the period up to 9th of the month and from 10th to the end of the month.
6. 6-digit CETSH number may be indicated without any decimal point.
7. Wherever quantity codes appear, indicate relevant abbreviations as given below:

Quantities	Abbreviations
Centimetre(s)	cm
Cubic centimeter(s)	cm^3
Cubic metre(s)	m^3
Gram(s)	g
Kilogram	kg
Kilolitre	kl
Litre(s)	l
Metre(s)	m
Square metre(s)	m^2
Millimetre(s)	mm
Metric tonne	mt
Number of pairs	pa

Quintal	q
Tonne(s)	t
Thousand in number	Tu
Number	u

8. Where the duty is specific and is charged based on specified unit quantity, the same quantity code must be used for showing clearance figures.

9. In column (5) of Table at serial number 3, the assessable value means,

(a) where goods attract advalorem rate of duty, the value under section 4 of Central Excise Act, 1944 (I of 1944);

(b) where goods are covered under section 4A of the Act, assessable value as worked out under MRP after allowing deductions as provided under section 4A of the Act;

(c) in case of goods for which the tariff value is fixed, such tariff value;

(d) in case of specific rated goods, the aggregated invoice value of the goods excluding all taxes;

(e) in case of combination of ad valorem and specific duties, the transaction value under section 4 of the Act;

(f) in case of exports under Bond, the ARE-1/ARE-2/invoice value:

The abbreviations used to denote a particular type of duty are as below:

CENVAT- Duty of Excise leviable as per First Schedule to Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986)

SED- Special Excise Duty leviable as per Second Schedule to Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986)

AED (GSI)- Additional Duty of Excise leviable under Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957(58 of 1957).

NCCD- National Calamity Contingent Duty leviable under Section 136 of the Finance Act, 2001as amended.

AED (TTA)- Additional Duty of Excise leviable under Additional Duties of Excise (Textile and Textile Articles) Act, 1978(40 of 1978).

SAED- Special Additional Excise Duty leviable under Section 147 of the Finance Act, 2002

ADE- Additional duty of Excise on Motor Spirit and High Speed Diesel leviable under Section 111 of the Finance (No. 2) Act, 1998 and Section 133 of the Finance Act, 1999 respectively.

ADET- Additional duty of Excise on Tea and Tea Waste leviable under section 157 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003).

Cess- Cess leviable under different Cess enactments.

10. In Tables at serial numbers 3 and 4 the 'Other duties' paid/payable, as applicable, may be mentioned as per the following sequence.

SED					
AED(GSI)					
NCCD					
AED(TTA)					
SAED					
ADE					
ADET					
CESS					

11. In column (9) in Table at serial number 3, indicate the effective rates of duty. Columns that are not applicable may be left blank.

12. Goods cleared under compounded levy scheme, indicate the aggregate duty payable in column (10) of Table at Serial number 3 as per the compounded levy scheme. The columns not applicable may be kept blank.

13. In case the goods are assessed provisionally the details may be given separately in Table at serial number 3. In column (11) of Table at serial number 3, specify the Unique Identification number mentioned in the order for Provisional Assessment.

14. In column (4) of Table at serial number 6, specify the Order-in-Original number and date relating to the payment of arrears of duty and of interest, the period for which the said interest has been paid. For other miscellaneous payments, mention the source document number and date.

(ii) for quarterly return for clearance of goods and CENVAT credit, the following form shall be used, namely:-

Form E.R.-3 Original/Duplicate

{See rule 12 of the Central Excise Rules, 2002 and rule 7 (5) of CENVAT Credit Rules, 2002}
{To be submitted by the assesses falling under proviso to rule 12 of Central Excise Rules, 2002 }

Return of excisable goods and availment of CENVAT credit for the quarter ending M M Y Y Y Y

1. Registration number

2. Name of the assessee

3. **Details of the manufacture, clearance and duty payable during the first /second /third month of the quarter:**

CETSH NO.	Unit of quantity	Quantity manufactured	Quantity cleared	Assessable value (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

263764/03—3

Duty	Notification availed	S. No. in Notification	Rate of duty	Duty payable (Rs.)	Provisional assessment number (if any)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
CENVAT					
Other Duties					

4. Details of duty paid during the first /second /third month of the quarter:

Duty code	Account current (Rs.)	Credit account (Rs.)	Total duty paid (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
CENVAT			
Other Duties			

5. Details of CENVAT credit availed and utilized during the first /second /third month of the quarter:

Details of Credit	CENVAT (Rs)	AED (TTA) (Rs.)	NCCD (Rs.)	ADET (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Opening balance				
Credit availed on inputs				
Credit availed on capital goods				
Total credit availed				
Credit utilized				
Closing balance				

6. Details of other payments made:

Payments	Amount Paid (Rs)		Challan		Source document No. and date
	Account current	Credit account	No.	Date	
(1)	(2A)	(2B)	(3A)	(3B)	(4)
Arrears of duty					
Interest					
Misc Payments					

7. Self- assessment memorandum :

d) I hereby declare that the information given in this Return is true, correct and complete in every respect and that I am authorised to sign on behalf of the assessee

e) During the month, total Rs _____was deposited vide TR 6 Challans (copies enclosed)

f) During the month, invoices bearing S No _____ to S No. _____ were issued

Place
Date

(Name in capital letters and Signature of assessee or Authorized signatory)

ACKNOWLEDGEMENT

Return of excisable goods and availment of CENVAT credit for the month of M M Y Y Y Y

Date of receipt D D M M Y Y Y Y

Name and Signature of the Range Officer with Official Seal

INSTRUCTIONS

1 Indicate the 15-digit PAN based registration number and the name as appearing in the Registration Certificate

2 .In case more than one item is manufactured, additional row may be inserted in each table, wherever necessary. For giving information about the details of production and clearance, payment of duty and CENVAT credit availed and utilised month wise, the respective tables may be replicated.

3. If a specific product attracts more than one rate of duty, then all the rates should be mentioned separately.

For example: if a product is cleared at full rate of duty to the local market and at a concessional/ nil rate of duty for earthquake relief, then the details for each category of clearance must be separately mentioned.

4. In case the goods are cleared for export under Bond, the details of clearance may be mentioned separately. Under the columns (7) and (8) of Table at serial number 3, the words 'Export under Bond' may be mentioned.

5. If a specified product attracts different rates of duty, within the same month, then such details should be separately mentioned.

For example: On the 10th of a month, the effective rate of duty leviable for the product is changed, then the details relating to production, clearance and payment of duty need to be mentioned separately for the period up to 9th of the month and from 10th to the end of the month.

6. 6-digit CETSH number may be indicated without any decimal point.

7. Wherever quantity codes appear, indicate relevant abbreviations as given below.

Quantities	Abbreviations
Centimetre(s)	cm
Cubic centimeter(s)	cm^3
Cubic metre(s)	m^3
Gram(s)	g
Kilogram	kg
Kilolitre	kl
Litre(s)	l
Metre(s)	m
Square metre(s)	m^2
Millimetre(s)	mm
Metric tonne	mt
Number of pairs	pa
Quintal	q
Tonne(s)	t
Thousand in number	Tu
Number	u

8. Where the duty is specific and is charged based on specified unit quantity, the same quantity code must be used for showing clearance figures.

9. In column (5) of Table at serial number 3, the assessable value means,

(a) where goods attract ad valorem rate of duty, the value under section 4 of Central Excise Act, 1944 (I of 1944);

(b) where goods are covered under section 4A of the Act, the assessable value as worked out under MRP after allowing deductions as provided under section 4A of the Act;

(c) in case of goods for which the tariff value is fixed, such tariff value;

(d) in case of specific rated goods, the aggregated invoice value of the goods excluding all taxes;

(e) in case of combination of ad valorem and specific duties, the transaction value under section 4 of the Act;

(f) in case of exports under Bond, the ARE-1/ARE-2/invoice value.

The abbreviations used to denote a particular type of duty are as below:

CENVAT- Duty of Excise leviable as per First Schedule to Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986)

SED- Special Excise Duty leviable as per Second Schedule to Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986)

AED (GSI)- Additional Duty of Excise leviable under Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957).

NCCD- National Calamity Contingent Duty leviable under Section 136 of the Finance Act, 2001as amended.

AED (TTA)- Additional Duty of Excise leviable under Additional Duties of Excise (Textile and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978).

SAED- Special Additional Excise Duty leviable under Section 147 of the Finance Act, 2002

ADE- Additional duty of Excise on Motor Spirit and High Speed Diesel leviable under Section 111 of the Finance (No. 2) Act, 1998 and Section 133 of the Finance Act, 1999 respectively.

ADET- Additional duty of Excise on Tea and Tea Waste leviable under section 157 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003).

Cess- Cess leviable under different Cess enactments.

10. In Tables at serial numbers 3 and 4 the 'Other duties' paid/payable, as applicable, may be mentioned as per the following sequence.

SED					
AED(GSI)					
NCCD					

AED(TTA)					
SAED					
ADE					
ADET					
CESS					

11. In column (9) in Table at serial number 3, indicate the effective rates of duty. Columns which are not applicable, may be left blank.

12. Goods cleared under compounded levy scheme, indicate the aggregate duty payable in column (10) of Table at serial number 3 as per the compounded levy scheme. The columns not applicable may be kept blank.

13. In case the goods are assessed provisionally, the details may be given separately in Table at serial number 3. In column (11) of Table at serial number 3, specify the Unique Identification number mentioned in the order for Provisional Assessment.

14. In column (4) of Table at serial number 6, specify the Order-in-Original number and date relating to the payment of arrears of duty and of interest, the period for which the said interest has been paid. For other miscellaneous payments, mention the source document number and date.

2. This notification shall come into force on and from the 1st day of October, 2003.

[F. No. 201/6/2002-CX. 6 (Pt-2)]
VIJAY MOHAN JAIN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2003

सं. 72/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 745(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 17 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 49/2001- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) दिनांक 26 जून 2001 जो कि दिनांक 26 जून, 2001 की सा.का.नि.478(अ) द्वारा प्रकाशित की गई है, का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड उक्त नियमावली के उद्देश्यों के लिए विनिर्मित शुल्क्य माल और निविष्टि व पूँजीगत माल की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित मासिक विवरणी फार्म विनिर्दिष्ट करता है, नामत:

मूल/डुप्लीकेट

फार्म ई.आर. -2

[केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 17 (3) को देखें]

शुल्क्य माल और निविष्टियों एवं पूंजीगत माल की प्राप्ति के लिए विवरणी, मास _____

1. रजीकरण संख्या

2. निर्धारिती का नाम

3. **विनिर्माण, निकासी और देय शुल्क:**

सी ई टी एस एच संख्या	सी टी एस एच संख्या	मात्रा की इकाई	विनिर्मित मात्रा	निकासी की गई मात्रा	निर्धारणीय मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

शुल्क	लागू अधिसूचना	अधिसूचना में क्रम सं.	शुल्क दर	देय शुल्क (रु.)	भुगतान किया गया शुल्क (रु.)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
सेनवेट					

4. **शुल्क का भुगतान किए बिना प्राप्त निविष्टियों और पूंजीगत माल के ब्यौरे:**

सी ई टी एस एच संख्या	सी टी एस एच संख्या	मात्रा कोड	प्राप्त कुल मात्रा	प्राप्त माल की कीमत	अधिसूचना सं.	अधिसूचना में क्रम सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

5. **किए गए अन्य भुगतानों का ब्यौरा:**

भुगतान	भुगतान की गई राशि (रु.)	चालान		स्रोत दस्तावेज सं. और तारीख
		सं.	तारीख	
(1)	(2)	(3)		(4)
बकाया शुल्क				
ब्याज				
विविध भुगतान				

6. **स्वयं निर्धारण ज्ञापन**

(क) मैं घोषित करता हूँ कि इस विवरणी में दी गई सूचना सत्य सही और सभी प्रकार से पूरी है और मैं निर्धारिती की और से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ ।

(ख) माल के दौरान कुल ----------रुपये टी.आर.6 चालान द्वारा जमा करवाएं गए थे। (प्रतियां संलग्न)

(ग) मास के दौरान क्रम सं. ---------- से क्रम संख्या ----------तक वाले बीजक जारी किए गए थे ।

(निर्धारिती या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का मोटे अक्षरों में नाम और हस्ताक्षर)

स्थान.
दिनाक

पावती

शुल्क्य माल और सेनवेट क्रेडिट लेने के लिए विवरणी, मास

प्राप्ति की तारीख

रेंज अधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर और नाम

अनुदेश

1) 15 अंकों की स्थायी खाता संख्या पर आधारित पंजीकरण संख्या और पंजीकरण प्रमाण-पत्र में छपे नाम का उल्लेख करें ।

2) यदि एक मद से अधिक का विनिर्माण किया जाता हो तो प्रत्येक तालिका में आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती है।

3) क्रम सं. 3 पर तालिका के स्तंभ (4) में एकक में विनिर्मित माल की पूरी मात्रा का उल्लेख किया जाना चाहिए, चाहे शुल्क के भुगतान के बाद निकासी हुई हो अथवा नहीं हुई हो ।

4) यदि किसी विशिष्ट उत्पाद पर शुल्क की एक से अधिक दरें लगने वाला हो तो सभी दरों का अलग-अलग उल्लेख किया जाना चाहिए ।

   उदाहरण के लिए यदि शुल्क की पूर्ण दर पर किसी उत्पाद की स्थानीय बाजार में और शुल्क की रियायती/शून्य दर पर भूकंप राहत अथवा माने गए निर्यात के लिए निकासी किया जाता हो तो प्रत्येक श्रेणी की निकासी के ब्यौरे का अलग-अलग उल्लेख किया जाना चाहिए ।

5) यदि बांड के तहत किसी माल की निर्यात हेतु निकासी की गई हो, तो निकासी के ब्यौरे का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए । क्रम सं. 3 पर तालिका के स्तंभ (8) और (9) के अंतर्गत "बांड के तहत निर्यात" का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

6) यदि किसी विनिर्दिष्ट उत्पाद पर एक ही महीने के भीतर शुल्क की भिन्न-भिन्न दरें लगती हों, तो ऐसे ब्यौरे का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए।

   उदाहरण के लिए: किसी महीने की 10 वी तारीख पर यदि उत्पाद पर उद्ग्रहणीय शुल्क की प्रभावी दरें बदल जाती हैं तो महीने की 9 वीं तारीख तक की अवधि तक और 10 वीं तारीख से महीने के अंतिम तक की अवधि तक के लिए उत्पादरन, निकासी और शुल्क के भुगतान से संबंधित ब्यौरे अलग से दिए जाने की जरूरत है।

7) 6 अंको वाली सी इ टी एस एच संख्या का बिना किसी दशमलव बिंदु के उल्लेख किया जाना चाहिए।

8) जहाँ कहीं मात्रा संबंधी कोड आए, वहाँ निम्नानुसार उनके शब्द-संक्षेप का उल्लेख करें :

मात्रा	शब्द-संक्षेप
सेंटीमीटर	सेमी
घन सेंटीमीटर	सेमी^{3}
घन मीटर	मी^{3}
ग्राम	ग्रा
किलोग्राम	किग्रा
किलोलीटर	किली
लीटर	ली

लीटर	ली
मीटर	मी
वर्ग मीटर	मी
मिली मीटर	मि मी
मीट्रिक टन	मी ट
जोड़ियों की सं.	जो
क्विंटल	क्वि
टन	ट
हजार मे संख्या	ह
संख्या	सं.

9. जहाँ शुल्क विनिर्दिष्ट हों और विनिर्दिष्ट इकाई मात्रा पर आधारित प्रभार लगता हो, वहाँ निकासी के आँकड़े को दर्शाने के लिए उसी मात्रा कोड का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

10. क्रम सं.3 पर तालिका के स्तंभ 6 में, निर्धारण-योग्य मूल्य का तात्पर्य,

(क) जहाँ माल पर शुल्क की यथा मूल्य दर लगती हो, वहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944(1944 का 1) की धारा 3(1) के परंतुक के अनुसार मूल्य है;

(ख) विनिर्दिष्ट दर वाले माल के मामले में, सभी करों को छोड़कर माल का कुल बीजक मूल्य है ;

(ग) यथा मूल्य और विनिर्दिष्ट शुल्कों के सम्मिलित होने की स्थिति में, इस अधिनियम की धारा 3 (1) के परंतुक के तहत मूल्य है ;

(घ) निर्यात की स्थिति में, यथा उपर्युक्त मूल्य है, जिसकी ए.आर.ई-1/ए.आर.ई-2 में भी घोषणा की गई है ।

11. सारणी की क्रम संख्या 3 में स्तम्भ (10) में शुल्क की प्रभावी दर का उल्लेख करें । जो स्तम्भ लागू नहीं हों, उन्हें खाली छोड़ दें।

12. सारणी की क्रम संख्या 4 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सीमा शुल्क के संदत्त के बिना प्राप्त निविष्टियों ब्यौरा भी दें ।

13. सारणी के स्तम्भ (4) की क्रम संख्या 5 में शुल्क और ब्याज के बकायों के संदाय वह अवधि जिसके लिए उक्त ब्याज दिया गया है, के संबंध में मूल आदेश संख्या और तारीख का उल्लेख करें। अन्य विविध संदायों के लिए मूल दस्तावेज की संख्या और तारीख का उल्लेख करें।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2003 में प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 201/6/2002-के.उ.शु.-6 (भाग-2)]

विजय मोहन जैन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2003

No. 72/2003-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 745(E).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of rule 17 of the Central Excise Rules, 2002, and in supercession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 49/2001-Central Excise (N.T.), dated the 26th June 2001, published vide G.S.R.478(E), dated the 26th June 2001, the Central Board of Excise and Customs hereby specifies the following form for monthly return in respect of excisable goods manufactured and receipt of inputs and capital goods, for the purposes of the said rule, namely :-

Form E.R.-2 Original/Duplicate

{ See rule 17(3) of the Central Excise Rules, 2002}

Return of excisable goods and receipt of inputs and capital goods for the month of M M Y Y Y Y

1. Registration number
2. Name of the assessee

3. Details of the manufacture, clearance and duty payable:

CETSH NO.	CTSH NO.	Unit of quantity	Quantity manufactured	Quantity cleared	Assessable value (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Duty	Notification availed	Serial No. in Notification	Rate of duty	Duty payable (Rs.)	Duty paid (Rs.)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
CENVAT					

4. Details of inputs and capital goods received without payment of duty:

CETSH NO.	CTSH NO.	Quantity code	Total quantity received	Value of the goods received (Rs.)	Notification No.	Serial No in Notification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

5. Details of other payments made:

Payments	Amount paid (Rs.)	Challan		
		No.	Date	No. and date
(1)	(2)	(3A)	(3B)	(4)
Arrears of duty				
Interest				
Misc. Payments				

6. Self- assessment memorandum :

a) I hereby declare that the information given in this Return is true, correct and complete in every respect and that I am authorised to sign on behalf of the assessee.

b) During the month, total Rs._____was deposited vide TR 6 Challans (copies enclosed).

c) During the month, invoices bearing S.No._____ to S.No. _____ were issued.

Place :
Date :

(Name in capital letters and Signature of assessee or authorized signatory)

ACKNOWLEDGEMENT

Return of excisable goods and receipt of inputs and capital goods for the month of M M Y Y Y Y

Date of receipt D D M M Y Y Y Y

Name and Signature of the Range Officer with Official Seal

INSTRUCTIONS

1. Indicate the 15-digit PAN based registration number and the name as appearing in the Registration Certificate.
2. In case more than one item is manufactured, additional rows may be inserted in each table, wherever necessary.
3. In column (4) of Table at serial number 3, the entire quantity of goods manufactured in the unit whether or not cleared on payment of duty, should be indicated.
4. If a specified product attracts more than one rate of duty, then all the rates should be mentioned separately.

   For example: If a product is cleared at full rate of duty to the local market and at a concessional/ nil rate of duty for earthquake relief or deemed exports, then the details for each category of clearance must be separately mentioned.
5. In case the goods are cleared for export under Bond, the details of clearance may be mentioned separately. Under the columns (8) and (9) of Table at serial number 3, the words 'Export under Bond' may be mentioned.
6. If a specified product attracts different rates of duty, within the same month, then such details should be separately mentioned.

   For example: On the 10th of a month, the effective rate of duty leviable for the product is changed, then the details relating to production, clearance and payment of duty need to be mentioned separately for the period up to 9th of the month and from 10th to the end of the month.
7. 6-digit CETSH Number may be indicated without any decimal point.
8. Wherever quantity codes appear, indicate relevant abbreviations as given below.

Quantities	Abbreviations
Centimetre(s)	cm

Cubic centimeter(s)	cm^3
Cubic metre(s)	m^3
Gram(s)	g
Kilogram	kg
Kilolitre	kl
Litre(s)	l
Metre(s)	m
Square metre(s)	m^2
Millimetre(s)	mm
Metric tonne	mt
Number of pairs	pa
Quintal	q
Tonne(s)	t
Thousand in number	Tu
Number	u

9. Where the duty is specific and is charged based on specified unit quantity, the same quantity code must be used for showing clearance figures.

10. In column (6) of Table at serial number 3, the assessable value means,

(a) where goods attract ad valorem rate of duty, the value as per proviso to section 3(1) of Central Excise Act, 1944 (1of 1944);

(b) in case of specific rated goods, the aggregated invoice value of the goods excluding all taxes;

(c) in case of combination of ad valorem and specific duties, it is the value under proviso to section 3(1) of the Act;

(d) In case of exports, the value as aforesaid, also declared in ARE-1/ARE-2.

11. In column (10) in Table at serial number 3, indicate the effective rates of duty. Columns that are not applicable may be left blank.

12. In Table at serial number 4, the details of the inputs and capital goods received without payment of Central Excise duty or Customs duty as the case may be, should be given.

13. In column (4) of Table at serial number 5, specify the Order-in-Original number and date relating to the payment of arrears of duty and of interest, the period for which the said interest has been paid. For other miscellaneous payments, mention the source document number and date.

2. This notification shall come into force on and from 1st day of October, 2003.

[F. No. 201/6/2002-CX. 6 (Pt-2)]

VIJAY MOHAN JAIN, Under Secy.

263762/03—5

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2003

सं. 73/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 746(अ).— सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2002 के नियम 7 के उप नियम (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड उक्त नियमावली के उद्देश्यों के लिए पंजीकृत डीलरों के लिए निम्नलिखित तिमाही विवरणी विनिर्दिष्ट करता है, नामत:

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2002 के नियम 7 के अंतर्गत पंजीकृत डीलरों के लिए तिमाही विवरणी (नियम 7 का उप नियम 6 देखें)

समाप्त तिमाही की विवरणी

1. पहले स्तर/दूसरे स्तर के डीलर का नाम
2. उत्पाद शुल्क पंजीकरण सं.
3. पता
4. पहले स्तर /दूसरे स्तर के डीलर द्वारा जारी बीजकों का विवरण

दस्तावेज में मुख्य मद के लिए*

क्रम सं.	तारीख सहित बीजक सं.	माल का विवरण	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ शीर्ष	मात्रा	अंतर्ग्रस्त शुल्क की राशि (रु.)

5. दस्तावेजों का विवरण जिसके आधार पर क्रेडिट पास किया गया

दस्तावेज में मुख्य मद के लिए*

क्रम सं.	बीजक/आगम पत्र सं.तारीख सहित	विनिमार्ता/आयातक अथवा पहले स्तर (जैसा भी मामला हो) का नाम और पता	माल का विवरण	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ शीर्ष	अंतर्ग्रस्ता शुल्क की राशि (रु.)

* दस्तावेज के अंतर्गत आने वाली अधिकतम शुल्क वाली मद के संबंध में ब्यौरे दें ।

स्थान :

(निर्धारिती या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का मोटे अक्षरों में नाम और हस्ताक्षर)

दिनांक :

नाम साफ अक्षरों में

पदनाम

पंजीकृत डीलर की मोहर.

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2003 से लागू होगी ।

[फा. सं. 201/6/2002-के.उ.शु.-6 (भाग-2)]

विजय मोहन जैन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2003

No. 73/2003-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 746(E).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (6) of rule 7 of the CENVAT Credit Rules,2002, the Central Board of Excise and Customs hereby specifies the following form for the quarterly return for the registered dealers for the purposes of the said rule, namely :-

Quarterly Return under Rule 7 of the CENVAT Credit Rules, 2002
for the Registered Dealers
[See sub-rule (6) of rule 7]

Return for the quarter ending ----------

1. Name of the first stage/second stage dealer :
2. Excise registration number :
3. Address :
4. Particulars of invoices issued by first stage/second stage dealer :

S.No.	Invoice No. with date	For the main item in the document*			
		Description of the goods	Central Excise Tariff Heading	Quantity	Amount of duty involved (Rs.)

5. Particulars of the documents based on which the credit is passed on:

S.No.	Invoice/ Bill of entry No. with date	Name and address of the manufacturer/ importer or the first stage dealer (as the case may be)	For the main item in the document*		
			Description of the goods	Central Excise Tariff Heading	Amount of duty involved (Rs.)

* Give details with respect to the item with maximum duty covered by the document

Place:

Date:

Signature of the registered person or the authorised signatory

Name in capital letters
Designation
Seal of the registered dealer.

2. This notification shall come into force on and from 1st day of October, 2003.

[F. No. 201/6/2002-CX. 6 (Pt-2)]
VIJAY MOHAN JAIN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.